हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16/02, 2010

संख्या वैब 1 /ह0अ0 6/2003/धा0 60/2010. – हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप–धारा (3) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

1. ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2010, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 25 में, विद्यमान पैरा (ड) के स्थान पर, निम्न लिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

(ड)	देश जिन्होंने भारत के राजनयिक मिशनों/राज दुतावासों तथा वाणिज्य दूतावासों को पारस्परिक आधार पर उनके अपने देशों में ऐसे लाभ प्रदान किए हैं, को भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों राजदूतावासों तथा वाणिज्य दूतावासों को बेचे गए माल के आवर्त।	विक्रय बीजक तथा प्ररूप वैट ग–5 में प्रमाण पत्र।

टिप्पणः– देशों के नाम तथा प्रभावी तिथि जिससे भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों/राजदूतावासों तथा वाणिज्य दूतावासों से कर लाभ वापस किए जाने हैं ; की ऐसी संसूचना जब कभी मुख्य प्रोटोकोल, आन्तरिक कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से आबकारी तथा कराधान विभाग, हरियाणा द्वारा प्राप्त की जाती है, विभाग द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारियों को संसूचित की जाएगी।''।

3. उक्त नियमों में, विद्यमान ''प्ररूप वैट ग–4'' के बाद, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:–

''प्ररुप वैट – ग 5

[देखिए नियम 25 (ड)]

प्रमाण–पत्र

भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों/राजदूतावासों तथा वाणिज्य दूतावासों के किसी कार्यालय के कार्यालय प्रयोग के लिए माल खरीदने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाण–पत्र ।

(सही प्रति जारी करने वाले कार्यालय/अभिकरण द्वारा रखी जाएगी)

मै, ______________(नाम और पदनाम) ______________(कार्यालय का नाम) ______________(पता) का प्राधिकृत व्यक्ति प्रमाणित करता हूँ कि मैंने भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों/राजदूतावासों/वाणिज्य दूतावासों के उक्त कार्यालय की ओर के से मैसर्ज________________________पता ________________________ करदाता पहचान संख्या (टिन) ______________ दिनांक ______________ के विक्रय बीजक/परिदान नोट संख्या ______________ दिनांक ______________ में विनिर्दिष्ट माल का भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों/राजदूतावासों तथा वाणिज्य दूतावासों के उक्त कार्यालय के संस्थागत उपयोग के लिए क्रय किया है।

स्थान ______________ हस्ताक्षर ______________

तारीख _____________ नाम _____________

हैसियत _____________

कार्यालय मोहर।''।

रमेन्द्र जाखू,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग ।